राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 08/2017

मन्दिर मूर्ति श्री जानकी बल्लभजी जरिये वाद मित्र रामजीलाल पुत्र कुरड़ाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहराजी की तन् नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादी

दावा– रिकार्ड दुरूस्ती नक्शा व घोषणात्मक

:: निर्णय :: **दिनांक 28–10–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मैन रोड़ खेतड़ी से धर्मदड़ा से पश्चिम दिशा फटकर एक आम रास्ता करीब 20 फुट चौड़ा प्राचीन कुआ से होते हुये गत् ख.नं. 465, 466 में से होते हुये ढाणी बोहरा में जाता है। उक्त रास्ता कटान का रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ है जो नक्शा ट्रेस सन् 1938–39 संवत् 1994–95 में दिखाया गया है। उक्त रास्ता प्राचीन रास्ता है उक्त रास्ते से ही वादी एवं ढाणी बोहरा के लोग व रास्ते के आस–पास खेतों वाले अपने खेतों में आते जाते थे एवं अपने वाहन आदि लाते ले जाते रहते थे। वादी भी इसी रास्ते से अपने खेत में व ढाणी में आता जाता रहा है। अब उक्त रास्ते के दोनों तरफ के खेतों वालों ने रास्ते की भूमि को दबाकर उसकी चौड़ाई 20 फुट के स्थान पर मात्र 3–4 फुट करदी है जो पगडण्डी के रूप में हो गया है एवं अब इस पगडण्डी पर भी अतिक्रमण करके इसे बन्द करने की फिराक में है जिससे वादी व ढाणी के लोगों को काफी परेशानी हो रही है तथा वे अपने साधन वाहन जीप, ट्रेक्टर आदि भी नहीं ले जा पाते। जब हाल नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 बनाया गया तब उसमें उक्त रास्ते को दर्ज नहीं किया गया एवं नक्शा गलत बना दिया गया। जबकि उक्त रास्ता ढाणी बोहराजी में जाने का प्राचीन रास्ता है जो एक मात्र रास्ता है जो पहले करीब 20 फुट चौड़ा रास्ता था जो नक्शा ट्रेस सन् 1938–39 में दर्ज है। इसलिये हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर इसे गत नक्शा ट्रेस के अनुसार बनाया जाना आवश्यक है एवं रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाकर रास्ते को पुनः 20 फुट चौडाई में करवाया जाना आवश्यक है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) हाल नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 को दुरूस्त कि[illegible]र इसे गत नक्शा ट्रेस सन् 1938–39 के अनुसार नक्शा ट्रेस में [illegible] हुए बनाया जावे व राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(ख) विवादित रास्ते पर जो अतिक्रमण किया गया [illegible] उसको गत नक्शा [illegible] 1938–39 के अनुसार हटवाया जाकर रास्ते को पुनः 20 फुट चौडाई में चालू करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व / 2020 / 1139 दिनांक 14.09.2020 से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है :–

1. नक्शा ट्रेस की छाया प्रति सन् 1938–39 संवत् 1994–95 में दिखाया गया है कि खेतड़ी (नानूवाली बावड़ी) से धर्मदड़ा जाने वाली रोड़ से फटकर भूमि ख.नं. 465, 466 की उत्तरी सीमा से लगते हुए ढाणी बोहरावाली तक डोटेड निशान अस्थायी मानी जाती है जिसकी चौड़ाई स्थायी नहीं है। उक्त रास्ते नुमा डोटेड आकृति का अलग से खसरा नंबर नहीं होकर गत खसरा नंबर 465 व 466 में ही शामिल है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।
2. गत् पैमाईश के खसरा नंबर 465 मी. एवं 466 मी. में संलग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 1162, 1163, 1171, 1175, 1176, 1177 ग्राम खेतड़ी के बने जिससे नया ग्राम नानूवाली बावड़ी बनने से भूमि खसरा नंबर बदलकर क्रमशः 1592, 1593, 1601, 1602, 1605, 1606 व 1607 हो गये। उक्त खसरों में वर्तमान समय मे कोई कटान शुदा रास्ता या डोटेड लाईन राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्ठा में वादी के बताये अनुसार नहीं है और मौके पर भी कोई रास्ता या पगडण्डी वादी के बताये अनुसार नहीं है।
3. वादी की ढाणी बोरावाली में जाने हेतु नानूवाली बावड़ी से धर्मदड़ा जाने वाली डामर सड़क पानी की टंकी के पास से शंकरलाल पुत्र साबदान जाति माली निवासी ढाणी कादरीयावाली के मकानों के सामने से भूमि ख.नं. 1601 में से सुल्तान पुत्र हनुमान पूर्ण पुत्र हनुमान एवं बनवारी पुत्र हनुमान जाति माली निवासी ढाणी चुड़सिंह वाली के मकानों के आगे से ख.नं. 1601 में होता हुआ उक्त रास्ता भूमि ख.नं. 1598 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु. 0.01 बा.3 0.03 है. में जाकर मिलता है जिसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है। उक्त भूमि ख.नं. 1598 नक्शा लट्ठा में रास्तानुमा आकृति में लगभग 12 फीट चौड़ा है जो मौके पर लगभग 7–8 फीट चौड़ाई में रास्ते के काम में आ रहा है। शेष में बाड़ झाड़ व पेड़ खड़े है। परन्तु मौके पर प्रचलित रास्ता कुआ भूमि ख.नं. 1620 तक एवं खसरा नंबर 1616 को छोड़कर नक्शा लट्ठा में रास्ते नुमा आकृति में कटा हुआ है और मौके पर रास्ते के रूप में काम आता है।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, खेतड़ी के यहां विचाराधीन दीवानी वाद संख्या 66 / 2017 बउनवानी रामजीलाल बनाम पूरणमल व अन्य वाद बाबत घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश व आदेशिका मय मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी, नकल नक्शा किश्तवार ठिकाना खेतड़ी सन् 1938–39 संवत् 1994–95, नकल नक्शा ग्राम खेतड़ी सन् 1979–80, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नानूवाली बावड़ी सन् 1979–80, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 ग्राम नानूवाली बावड़ी पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र रामजीलाल पुत्र कुरड़ाराम (पी.डब्ल्यू.–1), नारसिंह पुत्र कुरड़ाराम (पी.डब्ल्यू.–2) भी पेश किये गये।

वहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वाद पत्र के अभिवचनों एवं तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी की मूल जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अवगत कराया है कि वादी की भूमि ढाणी बोरावाली में जाने हेतु नानूवाली बावडी से धर्मदडा जाने वाली डामर सड़क पानी की टंकी के पास से शंकरलाल पुत्र साबदान जाति माली निवासी ढाणी कादरीयावाली के मकानों के सामने से भूमि ख.नं. 1601 में से सुल्तान पुत्र हनुमान पूर्ण पुत्र हनुमान एवं बनवारी पुत्र हनुमान जाति माली निवासी ढाणी चुड़सिंह वाली के मकानों के आगे से ख.नं. 1601 में होता हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उक्त रास्ता भूमि ख.नं. 1598 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु. 0.01 बा.3 0.03 है. में जाकर मिलता है जिसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है। उक्त भूमि ख.नं. 1598 नक्शा लट्ठा में रास्तानुमा आकृति में लगभग 12 फीट चौड़ा है जो मौके पर लगभग 7–8 फीट चौड़ाई में रास्ते के काम में आ रहा है। शेष में बाड़ झाड़ व पेड़ खड़े है। परन्तु मौके पर प्रचलित रास्ता कुआ भूमि ख.नं. 1620 तक एवं खसरा नंबर 1616 को छोड़कर नक्शा लट्ठा में रास्तेनुमा आकृति में कटा हुआ है और मौके पर रास्ते के रूप में काम आता है जो पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी द्वारा प्रस्तत नजरी नक्शा (प्रदर्श–''अ'') के वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 27–08–2020 में अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श–''अ'') के अनुसार स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार (प्रदर्श–''अ'') राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रदर्श–''अ'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:20 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ोठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मन्दिर मूर्ति श्री जानकी बल्लभजी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार

दावा बाबत **रिकार्ड दुरूस्ती नक्शा व घोषणात्मक**

मुकदमा नम्बर :– **08/2017**

निर्णय दिनांक :– **28–10–2022**

वादी की ओर से **श्री शीशराम मेहरड़ा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **28–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 27–08–2020 में अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श–"अ") के अनुसार स्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार (प्रदर्श–"अ") राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **28–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी